

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-511/13

संस्थित दिनांक 30.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. राजीव पुत्र पूरन सिंह यादव उम्र 31 साल
 2. मलखान सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव उम्र 33 साल
 3. माधौसिंह पुत्र पूरन सिंह यादव उम्र 43 साल
 4. परमाल पुत्र पूरन सिंह यादव उम्र 38 साल
- सभी निवासीगण ग्राम जमूसर थाना चंदेरी
जिला- अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 324/34, 337/34, 506 भाग-दो के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.08.2012 को समय सुबह 04:00 बजे लगभग ग्राम जमूसर एवं लडेरी के बीच लल्लू आदिवासी के खेत की टपरियां पर लोक स्थल पर फरियादी निरभान को मां-बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, निरभान को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया व उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त माधौसिंह ने कट्टा से, जो कि वेदन करने का उपकरण हैं, से निरभान के पैर में गोली मारकर एवं अभियुक्त राजीव, मलखान व परमाल ने लातघूंसों से निरभान को स्वेच्छया उपहति कारित कर उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं आरोपी माधौसिंह अधिया कट्टा से हवाई फायर कर फरियादी व अन्य व्यक्तियों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.08.2012 के सुबह चार बजे फरियादी निरभान, कल्लू आदिवासी के खेत पर बनी लकड़ी की टपरियां पर सो रहा था, तभी ग्राम जमूसर के माधो यादव, मलखान, राजीव, परमाल आये बोले की, टपरियां से नीचे उतर। फरियादी टपरियां से नीचे उतर कर आया तो माधो, मलखान, राजीव, परमाल बोले मारदचोद दुश्मनों की खेती करवाई, तो माधो ने हाथ लिये अधिया कट्टा से फरियादी के पैर में गोली मारी, जो बाये पैर में जांघ के नीचे चिरती हुयी निकल गयी, चोट लगकर खून निकल आया। मलखान, राजीव परमाल ने फरियादी निरभान की लातघूंसों से की। जिससे

पोहचा व कमर चोट लगी। चारो लोग फरियादी निरभान को मां बहन क गालियां देते हुये बोले दुश्मनों की खेती की तो जान से खत्म कर देंगे। जाते जाते माधौ ने एक हवाई फायर किया। फरियादी निरभान की आवाज सुनकर भाई भैयालाल आ गया, जिसे देख चारों भाग गये। चिल्लाने की आवाज सुनकर फरियादी निरभान के परिवार वाले आ गये। फरियादी निरभान द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-286/12 अंतर्गत धारा- 323, 324, 294, 506बी, 337, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-12.06.2017 को फरियादी निरभान सिंह के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा-294, 323/34, 337, 506 भाग-दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा- 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 30.08.12 को सुबह 04:00 बजे ग्राम जमूसर व लडेरी के बीच लल्लू आदिवासी के खेत की टपरियां पर फरियादी निरभान को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त माधौसिंह ने बेदने की उपकरण कटटे से फरियादी के पैर में गोली मार कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

:: सकारण निष्कर्ष ::-

06- अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामों एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये फरियादी निरभान (अ0सा0-1) सहित घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में मेहरबान (अ0सा0-2) व चिकित्सीय साक्षी डाक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये।

- 07- फरियादी निरभान (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि तीन चार साल पहले वह अपने खेत पर सो रहा था, तो सुबह के समय एक व्यक्ति लाठी लेकर आया और सोते में उसके साथ मारपीट कर दी। फरियादी के अनुसार वह व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधे था, इसलिए वह उसे देख नहीं पाया। फरियादी का यह भी कहना है कि जब वह बचने के लिये भगा तो एक नुकीले पत्थर पर गिरने से उसके बाये पैर की जांघ में पत्थर घुसने की चोट आ गयी थी तथा चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई मेहरबान भी वहा आ गया था। फरियादी का कहना है कि घटना अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कारित की गयी थी आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही आरोपीगण वहां थे।
- 08- फरियादी निरभान (अ0सा0-1) के द्वारा मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन अभियोजन घटना से मैल नहीं खाती है। फरियादी एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ लाठी से मारपीट किया जाना बताता है तथा अभियुक्तगण को मौके पर उपस्थित न होना बताता है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार चारों अभियुक्तगण द्वारा जब फरियादी खेत पर बनी टपरियां पर सो रहा था, तो वहां पहुंचकर अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी। फरियादी अपने न्यायालीन कथनों में बाये पैर में घटना में चोट आना तो बताता है परन्तु फरियादी का अभियोजन घटना के विरुद्ध यह कहना है कि जब वह बचने के लिये भाग रहा था तो नुकीले पत्थर पर गिरने से उसे चोट आयी थी, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार माधौसिंह के द्वारा कट्टे से फायर कर फरियादी के बाये पैर में उपहति कारित की गयी थी।
- 09- अतः फरियादी निरभान (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन पूरे तरह से अभियोजन घटना के विपरीत है तथा स्वयं फरियादी निरभान सिंह (अ0सा0-1) का यह कहना है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ न तो कोई मारपीट की और न अभियुक्तगण वहा पर थे, फरियादी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ मारपीट करना बताता है। इसी प्रकार मेहरबान सिंह (अ0सा0-2) जो कि फरियादी का भाई है, भी अपने कथनों में फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कहता है कि उसे निरभान (अ0सा0-1) ने किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो कि मुंह पर कपड़ा बांधे था, लाठी से मारपीट करना बताया था तथा इस साक्षी के अनुसार जब वह खेत पर पहुंचा तो उसका भाई जमीन पर गिरा हुआ था।
- 10- फरियादी निरभान (अ0सा0-1) और मेहरबान सिंह (अ0सा0-2) दोनों का ही यह कहना है कि आरोपीगण ने निरभान (अ0सा0-1) के साथ कोई मारपीट की और न ही उसे पैर में आयी चोटे माधौसिंह द्वारा कट्टे से गोली मारकर कारित की गयी। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उसका विस्तारपूर्वक परीक्षण किया गया, जिसमें फरियादी ने स्पष्ट रूप से अभियोजन के द्वारा कथित अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट की घटना का खण्डन करते हुये अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन पुलिस को न देना बताया है। फरियादी का यह स्पष्ट

कहना है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गयी बल्कि मारपीट किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा की गयी। फरियादी ने इस बात का भी खण्डन किया है कि माधोसिंह ने उसे पैर में गोली मारी थी, फरियादी का इससे विपरीत यह कहना है कि उसे पत्थर पर गिरने से चोट आयी थी। इसी प्रकार मेहरबान च(अ0सा0-2) भी अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस को कथन देने से इन्कार करता है तथा प्र0पी0 3 का कथन पुलिस को न देना बताता है।

- 11- अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण फरियादी निरभान (अ0सा0-1) व मेहरबान (अ0सा0-2) के द्वारा पुलिस को दिये गये कथन अंतर्गत धारा 161 के आधार पर पंजीबद्ध किया गया है परन्तु फरियादी निरभान (अ0सा0-1) व मेहरबान (अ0सा0-2) अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कथन पुलिस को न देना बताते हैं तथा अभियोजन कहानी के विरुद्ध अभियुक्तगण द्वारा की गयी मारपीट की घटना से ही इन्कार करते हैं। फरियादी का कहना है कि उसे पैर की चोट नुकीले पत्थर पर गिरने से आयी थी, जिससे स्पष्ट है कि फरियादी घटना दिनांक को बाये पैर में चोट आना स्वीकार करता है।
- 12- डाक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0-3) जिनके द्वारा घटना के बाद फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण किया गया, ने भी अपने न्यायालीन कथनों की पुष्टि की है कि फरियादी के बायें पैर में चिकित्सीय परीक्षण में चोट का निशान था जिसके संबंध में उन्होंने ने थाने पर प्र0पी0 4 की सूचना दी थी कि फरियादी को गोली लगने की वजह से चोट आयी है तथा साथ ही चिकित्सीय रिपोर्ट प्र0पी0 5 फरियादी के चिकित्सीय परीक्षण उपरांत तैयार किया जाना एवं उक्त चोट के संबंध में पुलिस द्वारा चाहा गया अभिमत प्र0पी0 6 व 7 पुलिस को दिया जाना स्वीकार किया है परन्तु डाक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0-3) अपने प्रतिपरीक्षण में ही यह स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 4 में उन्होंने यह लेख नहीं किया था कि फरियादी ने उन्हें गोली की चोट आना बताया है। डाक्टर आर0 पी0 शर्मा ने अपने कथनों में स्वयं के द्वारा दिये गये अभिमत की फरियादी को आयी चोट किसी मजल लोडिंग गन से फायर किये गये पत्थर, लोहे के टुकड़े आदि से आ सकती है, परन्तु स्वयं फरियादी नुकीले पत्थर पर गिरने से बाये पैर में आयी चोट आना बताता है, जिसके संबंध में स्वयं आर पी शर्मा (अ0सा0-3) इस संभावना से भी इन्कार नहीं करते कि फरियादी को आयी चोट नुकीले पत्थर पर गिरने से आ सकती है।
- 13- अतः फरियादी निरभान (अ0सा0-1) व मेहरबान सिंह (अ0सा0-2) व डाक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0-3) के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को फरियादी के बाये पैर पर चोट का निशान था तथा फरियादी के साथ मारपीट की घटना भी कारित हुयी थी परन्तु फरियादी सहित मेहरबान सिंह (अ0सा0-2) के द्वारा अभियुक्तगण के पक्ष में एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध कथन देने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मारपीट कर घटना दिनांक को उसे उपहति कारित की थी। निरभान (अ0सा0-1) स्वयं ही इस बात पर अभियोजन का समर्थन नहीं करता है कि माधौसिंह ने कट्टे से फायर करके उसके बाये पैर में गोली मारी थी या अभियुक्तगण

मौके पर उपस्थित थे, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो कि संभवतः प्रकरण में हुये राजीनामा के परिणाम भी हो सकता है।

- 14— अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन साक्ष्य के अभाव में यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 30.08.12 को सुबह 04:00 बजे ग्राम जमूसर व लडेरी के बीच लल्लू आदिवासी के खेत की टपरियां पर फरियादी निरभान को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त माधौसिंह ने बेदने की उपकरण कटटे से फरियादी के पैर में गोली मार कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 15— फलस्वरूप अभियुक्तगण राजीव पुत्र पूरन सिंह यादव, मलखान सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव, माधौसिंह पुत्र पूरन सिंह यादव, परमाल पुत्र पूरन सिंह यादव के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324/34 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण राजीव पुत्र पूरन सिंह यादव, मलखान सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव, माधौसिंह पुत्र पूरन सिंह यादव, परमाल पुत्र पूरन सिंह यादव को भा0दं0वि0 की धारा- 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 16— अभियुक्तगण राजीव पुत्र पूरन सिंह यादव, मलखान सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव, माधौसिंह पुत्र पूरन सिंह यादव, परमाल पुत्र पूरन सिंह यादव के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य शुदा संपत्ति मूल्य होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

